



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225994
CG-DL-E-18032021-225994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1154]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 1154]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

का.आ. 1245(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, समुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि. 301(अ) तारीख 27 फरवरी, 1971, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 1 मार्च 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (xix)(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xix) के
अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य

वह अवधि जिस तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है

“(xix)(क) डॉ. जे.पी. सिंह,

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए।”

अपर पादप संरक्षण सलाहकार (केन्द्रीय
कीटनाशी प्रयोगशाला), पादप संरक्षण,
संगरोध और भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद।

[फा. सं. 44021/05/2021-पीपी-स्था.]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 301(अ) तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1005(अ) तारीख 3 मार्च, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2021

S.O. 1245(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), dated the 27th February, 1971 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971, namely:-

In the said notification, for serial number (xix) (a) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Member nominated under clause (xix) of sub-section (3) of section 4	Period up to which nominated
“(xix)(a) Dr. J. P. Singh, Additional Plant Protection Adviser (Central Insecticides Laboratory), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad.	For a period of three years with effect from the date of publication of this notification.”

[F. No. 44021/05/2021-PP-Estt.]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971 and last amended *vide* number S.O. 1005(E), dated the 3rd March, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

का.आ. 1246(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि. 79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 4 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“5 डॉ. जे.पी. सिंह,

सदस्य”।

अपर पादप संरक्षण सलाहकार (केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला), पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद।

[फा. सं. 44021/05/2021-पीपी-स्था.]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 79(अ) तारीख 4 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1006(अ) तारीख 3 मार्च, 2021 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2021

S.O. 1246(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), dated the 3rd February, 1997 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

"5. Dr. J. P. Singh,

Additional Plant Protection Adviser (Central Member".

Insecticides Laboratory), Directorate of Plant

Protection, Quarantine and Storage, Faridabad.

2. A member shall hold office for so long as he is a member of the Central Insecticides Board.

[F. No. 44021/05/2021-PP-Estt.]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997 and last amended *vide* number S.O. 1006 (E), dated the 3rd March, 2021.